

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 167-ए/2017

संस्थापन दि. 07.12.2017

फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए/907/2017

उदेलाल वल्द हगरू, उम्र 75 साल, जाति लोधी,
 निवासी देवटोला वार्ड नं. 4 बालाघाट तहसील व
 जिला-बालाघाट(म0प्र0).....

आवेदक/वादी

// विरुद्ध //

1. सावनलाल वल्द मोहनलाल बसेने, उम्र 55 साल,
2. रावणलाल वल्द मोहनलाल बसेने, उम्र 52 साल,
3. विभिषण वल्द मोहनलाल बसेने, उम्र 49 साल,
4. राधेश्याम वल्द मोहनलाल बसेने, उम्र 48 साल,
5. श्रीमती बसंताबाई जौजे जियालाल उपवंशी, उम्र 50 साल,
 सभी जाति लोधी, निवासी ग्राम देवटोला शहर बालाघाट के वार्ड नं. 4
 बालाघाट तह. व जिला बालाघाट
6. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, बालाघाट,
 जिला बालाघाट.....

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

1. आवेदक/वादी द्वारा श्री पी.बोरीकर अधिवक्ता।
2. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण द्वारा श्री के.एन.गराडे अधिवक्ता।

// आदेश //

{ आज दिनांक 13.01.2018 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा आवेदक/वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण/वादीगण एवं अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के पिता मोहन सगे भाई है जो हगरू की संतान है। वादी एवं प्रतिवादी के मालकी व कब्जे की शामिल-सरीक भूमि मौजा बालाघाट प.ह.नं. 13/2 ख.नं. 165ज रकबा 0.040 हे. भूमि जिसे वादग्रस्त भूमि कहा गया है। यह भूमि ग्राम देवटोला शहर बालाघाट के वार्ड नं. 4 में स्थित है। मूल पुरुष हगरू के मरने के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात् बतौर वारसानी हक उक्त भूमि मूल पुरुष के वारसान उदेलाल वल्द हगरू एवं मोहनलाल जो मृत हो गया है जिसके वारसानों प्रतिवादी नं. 1 से 5 है बतौर वारसानी हक प्राप्त हुई। वादग्रस्त संपत्ति जो वादपत्र में दर्शाई गई है उक्त वारसानों वाद एवं प्रतिवादी नं. 1 से 5 के बीच बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रं. 1 से 5 वादग्रस्त संपत्ति में वादी एवं प्रतिवादीगण निवासरत चले आ रहे हैं तथा हाल में वादग्रस्त संपत्ति में प्रतिवादी व वादी के मूल पुरुष की फौती दर्ज नहीं हुई है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि जो ग्राम देवटोला बालाघाट शहर के

वार्ड नं.04 बालाघाट में स्थित है नजरी नक्शे में लालस्याही से घिरे भाग का निर्माण कार्य दिनांक 04.12.2017 से प्रारंभ कर दिया है तथा गड्डे खुदवा उसमें कालम भी बनाना चाहता है। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा मकान बनाकर रहने की धमकी दी जाती है तथा निर्माण कार्य चालू रखे हुए है तथा विवादग्रस्त संपत्ति का बंटवारा न होने से प्रतिवादीगण व वादी की 0.040 हे. भूमि शामिल सरीक भूमि होने से वादी द्वारा मना किया गया तो प्रतिवादी नहीं मान रहे हैं और निर्माण कार्य प्रारंभ करने के प्रयास में है।

3. आवेदकगण/वादीगण ने आगे यह अभिवचन किया है पाया खोदते समय जबानी बार-बार निर्माण कार्य न कराने तथा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर लेने के बाद निर्माण करने कहे जाने पर न मानने के कारण प्रथम दृष्टया वाद सुविधा संतुलन एवं अपूर्ण क्षति का बिंदु वादी के पक्ष में एवं अनावेदकगण के इस प्रकार निर्माण कार्य न करने व बंटवारा कर लेने के बाद कार्य करे वो नहीं माने इस प्रकार के इस दृष्टिपूर्ण कार्य के कारण जो कि अविधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर विवादित भूमि पर नवनिर्माण किया जा रहा है को प्रकरण के निराकरण तक स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित प्रतिबंधित किया जाना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण मकान निर्माण कर घुस जावेंगे तथा उनसे मकान रिक्त कब्जा लेना मुश्किल कार्य होगा तथा वादी अपनी भूमि से बेदखल हो जावेगा तथा परेशानी में पड़ जावेगा और वादी का वाद निष्फल हो जावेगा, अन्यथा भी बिना विधिक अधिकार के सक्षम न्यायालय से डिक्री पारित हुये बिना ही इस प्रकार की कार्यवाही करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

4. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि वादी के द्वारा अपने वादपत्र की कंडिका क्रमांक 01 में जिस भूमि का वर्णन किया है वह भूमि वास्तव में उसकी मालकी व कब्जे की नहीं है तथा उक्त भूमि का वास्तविक मालिक प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 05 है। कंडिका क्रं. 01 में वादी द्वारा मिथ्या कथन किया गया है, मूल पुरुष हगरू की 02 संतान बताया है, जबकि मूल पुरुष हगरू की 03 वारसान थे, जिसमें बड़े पुत्र मोहनलाल, मंझला पुत्र उदेलाल तथा छोटे पुत्र ढालचंद था जो विवाहित व निःसंतान था जो वर्ष 1976 में मृत हो चुका है। मृतक ढालचंद निःसंतान थे इस कारण उसने प्रतिवादी क्रं. 2 को जो माहेनलाल की संतान है, को गोद पुत्र लिया था, प्रतिवादी क्रं. 02 उसी के पास रहकर पढाई लिखाई किया है तथा ढालचंद के मृत होने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 02 जो गोदपुत्र है के द्वारा दाह संस्कार की संपूर्ण कार्यक्रम मुण्डन वगैरह किया गया है। पूर्व में घरेलू बंटवारा(घर-मकान संबंधी) माता पिता गांव समाज के द्वारा मौखिक रूप से हो चुका है, इसी आधार पर वर्ष 1976 में विवाद ग्रस्त मकान का बंटवारा हुआ है, बंटवारा के समय वर्ष 1976 में विवादित भूमि पर मकान नहीं बना था। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हगरू के नाम से पुश्तैनी मकान ग्राम देवटोला वार्ड नं. 4 में है, जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व चाचा विवाह के पूर्व एक ही पुश्तैनी मकान बस्ती के अंदर के मकान में एक साथ निवासरत थे, विवाह पश्चात् प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल बड़े पुत्र एवं चाचा ढालचंद को पारिवारिक मौखिक बंटवारा किये जाकर अलग कर दिया गया एवं मौखिक बंटवारा स्वरूप प्रतिवादीगण के पिता को एवं तृतीय पुत्र ढालचंद को विवादित भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई तथा वादी देवटोला बस्ती के अंदर पुश्तैनी मकान बंटवारा में प्राप्त हुआ है, जिस पर वह आज भी परिवार सहित काबिज होकर निवासरत है। वादी को बना

बनाया मकान बंटवारे में प्राप्त हुआ है, तथा वादी के द्वारा पुश्तैनी पैतृक संपत्ति होकर कृषि भूमि है जो मौजा देवटोला प.ह.नं. 13/2 तहसील व जिला बालाघाट में स्थित है, जिसका खसरा नं. 109/2 रकबा 0.385 हे को भी हड़प कर चोरी छिपे चालाकी पूर्वक अपने नाम दर्ज करा लिया है, जिसकी जानकारी वर्तमान में राजस्व अभिलेखों की छानबीन से प्राप्त हुई है।

5. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने आगे यह अभिवचन भी किया है कि वादी के द्वारा जिस भूमि/मकान को विवादित बताया जा रहा है, उक्त मकान में वर्ष 1976 से प्रतिवादीगण अपने पृतक पिता मोहनलाल के समय से ही मौखिक बंटवारे के आधार पर मालिक काबिज होकर चले आ रहे हैं तथा शासन को मालकली व नगरपालिका को टैक्स भी अदा करते थे एवं पूर्व में नगरपालिका अभिलेखों में प्रतिवादीगण के मृतक पिता मोहन लाल का नाम दर्ज रहा है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगणों का नाम नगरपालिका अभिलेखों में दर्ज है तथा मालकली व टैक्स भी अदा कर रहे हैं। प्रतिवादी क्रं. 1 की पत्नी श्रीमती उमाकांता बसेने के द्वारा विवादित खसरे की भूमि में से 02 डिसमिल भूमि सरलाबाई से कय की गई, जिस पर वह पक्का मकान निर्माण कर अपने परिवार सहित निवासरत है उक्त खसरे में से पूर्व में 06 डिसमिल भूमि थी, जिसमें से मूल पुरुष हगरू के द्वारा 02 डिसमिल भूमि बाबूलाल को विक्रय किया तथा बाबूलाल ने सरलाबाई को विक्रय किया, उसके पश्चात् सरलाबाई से प्रतिवादी क्रं. 01 की पत्नी ने कय किया इस कारण उक्त खसरे की भूमि में 04 डिसमिल भूमि शेष बची है। प्रतिवादी क्रं. 2 मृतक ढालचंद जो मूल पुरुष हगरू की तृतीय संतान है कि हिस्से पर गोद पुत्र होने से मालिक काबिज है तथा वर्ष 1976 से हुए मौखिक बंटवारे के आधार पर मालिक काबिज चले आ रहा है जिस पर उसके द्वारा बंटवारे के बाद प्राप्त स्वयं के आवास हेतु मकान निर्माण किया गया है तथा उस पर परिवार सहित वष 1976 से ही लगातार निवास करते चले आ रहा है। विभिषण जो प्रतिवादी क्रं. 03 है, प्रतिवादी क्रं. 01 के साथ निवासरत है। प्रतिवादी क्रं. 4 उक्त भूमि/मकान से अलग निवासरत है।

6. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने यह भी अभिवचन किया है कि पूर्व के कच्चे मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था, बास-बल्ली व सड़क खसरा हो गया था, दिवाल क्षतिग्रस्त हो गई थी, मकान कभी भी गिर सकता था जिससे जान माल की क्षति हो सकती थी, इस कारण मकान की जीर्ण-शीर्ण हालत को देखते हुए वर्तमान में प्रतिवादी क्रं. 05 अपने हिस्से व कब्जे मालकी की भूमि जो उसे मौखिक बंटवारे के आधार पर प्राप्त हुई है जिस पर कच्चे मकान को तोड़कर शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2017 के तहत मकान निर्माण की है प्रतिवादी क्रं. 05 को विधिवत् शासन के द्वारा जांच पड़ताल कर मकान निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रं. 05 अत्यधिक गरीब है जो गरीबी रेखा अंतगत जीवन यापन करती है बहुत मुश्किलवश दौड़ धूप कर शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत कराया है तथा स्वीकृत राशि भी प्राप्त कर चुकी है वादी प्रतिवादी क्रं. 05 को आर्थिक क्षति पहुंचाने की दृष्टि से दावा प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है प्रतिवादी क्रं. 05 के मकान लगभग पूर्ण हो चुका है सिर्फ प्लास्टर-फिनिशिंग शेष रह गया है। प्रतिवादीगण अपने-अपने भूखण्ड पर अपने परिवार के साथ लगभग 40-45 वर्षों से लगातार मौखिक बंटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि पर मालिक काबिज है पूर्व में उसी स्थल पर कच्चे मकान निर्माण कर निवासरत रहे हैं तथा शासन को एवं नगरपालिका को बतौर भू-खण्ड स्वामी

के रूप में टेक्स व मालकली अदा किये हैं तथा वर्तमान भी कर रहे हैं।। वादी के द्वारा दावा में मृतक हगरू के मृत के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है न ही विवादित भूमि पर काबिज होने के प्रमाण पेश किया है न ही मृतक हगरू का वादी वारसान है इस संबंध में कोई प्रमाणपत्र पेश है दावा पूरी तरह से बनावटी व सारहीन है। प्रतिवादीगणों के द्वारा वादी की किसी भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है अतः उसके विपक्ष किसी भी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। उसके विपक्ष यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो प्रतिवादी को शासन द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2017 से वंचित होना पड़ेगा, तथा निवास हेतु मकान से वंचित होना पड़ेगा जिससे उसे अपरिमित क्षति होगी जिसकी भरपाई द्रव्य या अन्य साधन से भी संभव नहीं है।

7. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1- क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 3- क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2, 3 के संबंध में:-

8. सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक/वादी ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि पटवारी ह. नं. 13/2 खसरा नं. 165 ज रकबा 0.40 हेक्टेयर भूमि मूल पुरुष हगरू के नाम पर दर्ज थी, तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता को बतौर वारसान हक प्राप्त हुआ है, प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जबकि उन्हें इसका अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए उक्त निर्माण कार्य को तुड़वाकर भूमि समतल कर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से यह अभिवचन किया गया है कि पूर्व में वर्ष 1976 में हगरू के भाईयों का मौखिक बंटवारा हो चुका है, जब वादग्रस्त भूमि पर मकान नहीं बना था, उक्त भूमि मौखिक बंटवारे में उन्हें को प्राप्त हुई, तथ वादी को देवटोला पटवारी हल्का नं. 13/2 खसरा नं. 109/2 रकबा 3.385 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई थी, जो कि उसमें चोरी छिपे राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, वादग्रस्त भूमि पर मोहनलाल के द्वारा मकान का निर्माण कराया जा चुका है और नगरपालिका का टेक्स एवं अन्य टेक्स भी उनके द्वारा अदा किये जा रहे हैं तथा प्रतिवादी क्रं. 1 की पत्नी उमाकांत ने सरलाबाई से भूमि क्रय कर पक्का निर्माण कर लिया है और प्रतिवादी क्रं. 2 वादी और प्रतिवादीगण के पिता मोहनलाल का भाई मृतक ढालचंद के द्वारा गोद लिये जाने पर उसके हिस्से की भूमि पर मालिक काबिज है और सन् 1976 से ही मालिक होते हुए निवास करते आ रहा है तथा पूर्व में बंटवारा हो जाने के आधार पर सब अपनी भूमियों पर काबिज हैं। वादी ने असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसे निरस्त किया जावे।

9. वादी ने वादग्रस्त भूमि अपने पिता हगरू की होना बताते हुए शामिल शरीक होना बताया है और वादग्रस्त भूमि का खसरा वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है, उसका राजस्व अभिलेखों में हगरू का नाम दर्ज है, किंतु यहां यह तथ्य अभिलेख पर है कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि के संबंध में नगरपालिका परिषद बालाघाट का नाम परिवर्तन हेतु सूचना पत्र 22.09.2005 प्रस्तुत

किया है, जिसमें की नामांतरण का आधार पारिवारिक व्यवस्थापत्र को बताया गया है और इसके पश्चात् के वर्ष से वर्तमान वर्ष तक प्रतिवादीगण के द्वारा नगरपालिका परिषद में संपत्ति कर, जलकर आदि करों का भुगतान की रसीदें प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेज से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य होना दर्शित होता है और प्रतिवादीगण की ओर से वादी को बंटवारे में खसरा नं. 109/2 की भूमि प्राप्त होना बताया है और उसका वर्तमान वर्ष का खसरा भी प्रस्तुत किया है।

10. वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई आधिपत्य हो, ऐसा कोई दस्तावेज वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा हगरू की मृत्यु कब हुई, ऐसा कोई अभिवचन वादी की ओर से नहीं किया गया है और वादी के द्वारा किन कारणों से हगरू की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि का बंटवारा नहीं कराया जा सका, ऐसा भी कोई अभिवचन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि को शामिल सरीक होना बताया है, किंतु वादी के द्वारा प्रकरण में बंटवारे की कोई सहायता नहीं चाही है, केवल प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये निर्माण कार्य को तुड़वाया जाकर कब्जा प्राप्त किये जाने बाबद् सहायता चाही है, यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है तो वादी किस आधार पर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने तथ्यों को छिपाते हुए वाद प्रस्तुत किया है, वादी स्वच्छ हाथों ने न्यायालय नहीं आया है। न्यायदृष्टान्त अमरसिंह वि. यूनिन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2011) 7 एस.सी.सी. 69 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किये गये हैं कि स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष एक साम्यिक अनुतोष होता है और जो कोई इस अनुतोष को प्राप्त करना चाहता है, उसे न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना चाहिए और ज्यूरिसप्रूडेंस का यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि पक्षकारों को अपने अभिवचनों में स्पष्टता और निष्कपटता रखनी चाहिए और उस दशा में और भी आवश्यक हो जाता है, जब पक्षकार निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए न्यायालय के समक्ष आता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं दिखाई देता है तथा प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में न होने से अपूर्णीय क्षति और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में दिखाई नहीं देता है, यदि वादग्रस्त भूमि शामिल सरीक है तो भी सह स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

11. अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक/वादी के पक्ष में न होने से आवेदक/वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-1 विधिसंगत न होने से **निरस्त** किया जाता है।

12. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही /—
(अपर्णा आर.शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(अपर्णा आर. शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)